कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 417 राँची : 14/5/2026.

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Itkhori to Chatra Transmission Line निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 53.679 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल –1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है विषयक परियोजना प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– FP/JH/TRANS/ 40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022 द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

उक्त भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रासंगिक पत्रांक 1088 दिनांक 07.05.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा समर्पित किया गया है। प्राप्त निराकरण की स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है:–

क्र0	पृच्छा	निराकरण
1	The KML File of total proposed forest land for diversion.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना निर्माण के क्रम में चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल अतर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का kml file, PARIVESH 1.0 Portal Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
2	The kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का Complete alignment एवं ढुंढे गये दो Alternative routes का KML फाईल परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ किया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है।

3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/ submitted to this office along with the explanation why the forest department could not assess the violation while processing the application.	**वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :–** • विषयगत परियोजना में अधिसूचित वनभूमि पर भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा–टोनाटाँड़ में एक (1) एवं मौजा– हुरनाली में एक (1) कुल–2(दो) टॉवरो का निर्माण किया गया है। • वनभूमि में अवैध तरिके से किये गये टॉवर निर्माण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी पदाधिकारी विरूद्ध वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2024 द्वारा वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। वर्तमान मे यह मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन संलग्न अनु0–2) (क) दोनों टॉवर के निर्माण में क्रम में प्रभावित अधिसूचित वनभूमि का कुल रकबा 0.01620 हे0 है। (ख) दोनो टॉवर के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकारियों का नाम निम्नवत् है :– 1. सुनिल कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0लि0, चतरा। 2. प्रमोद कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर,के0 रामाचन्द्रा राउ ट्रांसमिशन एण्ड प्रोजेक्ट प्रा0 लि, एच0आई0–199, एच0एच0 कॉलोनी, रांची–834002. दोनो पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है। • साथ ही विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर किये गये टॉवरो का निर्माण के विरूद्ध दोषी लोगों पर कार्रवाई करने हेतु एवं उल्लंघन से प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के पत्रांक 2150 दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। उक्त मामलें में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67 दिनांक 08.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि

का रकबा) को चिन्हित करने हेतु समिति का गठन किया गया। उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में उनके ज्ञापांक 406 दिनांक 23.02.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर उनके कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में अवैध तरीके से किये गये टॉवरों की कुल सं0–39 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.5249 हे0 उल्लेखित है। इस मामले में गठित समिति द्वारा अपने findings के कंडिका–(3) में अंकित किया गया है कि –

During the inspection, and as corroborated by satellite imagery, it was observed that majority of the 39 GMJJ land parcels in which violations have been confirmed are under cultivation, which indicates that the user agency appears to have committed an inadvertent error while executing the transmission line project in physically distinguishing the said land parcels as GMJJ.

साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा प्रभावित उल्लंघन से प्रभावित रकवा पर पैनल एन0पी0भी0 लगाने हेतु findings के कंडिका–(4) में की गई अनुशंसा के आलोक में किया गया जो निम्नवत् है :–

For cases where the proposal under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is under consideration and forest land is deverted before grant of FC, Chapter-1, Para 1.16 (ii)(a) of the Consolidated Guidelines and Clarification issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 states that:-

"the penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made." (छाया प्रति संलग्न अनुलग्नक–**A**)

उपरोक्त Violation Area पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के द्वारा

		निर्गत नवीनतम दिशा–निर्देश के आलोक में दंडात्मक (Penal) एन0पी0वी0 की कार्रवाई सक्षम स्तर से की जा सकती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा विषयक परियोजना का दिनांक 06.09. 2021 एवं दिनांक 29.11.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में वनभूमि पर अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है। 1. उक्त से संबंध में यह स्पष्ट है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जिन स्थलों का निरीक्षण किया गया होगा उन स्थलों पर उस समय टॉवर का निर्माण नहीं किया गया होगा। 2. चूँकि विषयक परियोजना में कुल 194 टॉवरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। यह संभव है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी टॉवरो का सभी टॉवरों का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया होगा, जिनमें से इन अवैध टॉवरों का निर्माण कराया गया होगा। **वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :–** विषयक परियोजना में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67/रा०दिनांक 08.01.2026 द्वारा बिना सक्षम स्तर की पूर्वानुमति के गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी पर किये गये टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया। उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 406/रा० दिनांक 23.02.2026 (छायाप्रति संलग्न, **अनु०–2**) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि पर कोई भी टॉवर का निर्माण कार्य नही किया गया है, फलस्वरूप, इस प्रमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
4	As per Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in	इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :–

	the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes. Situation may be explained.	(a) There has been no intentional tampering of the KML file uploaded on the Parivesh portal. (b) The alignment KML was initially uploaded in segment/patches based on the information available at the time. . Consequently, the portal displayed an incomplete/fragmented alignment, which would have appeared inconsistent during geo-spatical analysis. Also, a complete and consolidated alignment KML of the transmission line is prepared and submitted in soft copy (CD) by user agency which is annexure-1 इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– " There is no deviation under Chatra (North) Forest Division." इसके साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक ट्रांसमिशन लाईन के Complete and consolidated alignment का kml file, CD में समर्पित किया गया है।
5	Three Cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।
6	The user agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/ plans alongside.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी / उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण योजना का सम्मान एवं पालन करने से संबंधित बचनबद्धता समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।

उपरोक्त भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन–तीन प्रति में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

14/5/26

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

(187)

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

8.5.26

पत्रांक : 1088 /हजारीबाग। दिनांक : 07.5.2026

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ मिश्रा, भा0व0से0,
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

11/5/26

1270
12/5/26

विषयः– **मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Itkhori to Chatra Transmission Line निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 53.679 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल – 1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 1188 दिनांक 18.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Itkhori to Chatra Transmission Line निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 53.679 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल – 1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– FP/JH/TRANS/ 40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022 द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। इन पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 290 दिनांक 27.04.2026 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के पत्रांक 1055 दिनांक 21.04.2026 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल के पत्रांक 775 दिनांक 25.04.2026 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है। जो बिन्दुवार निम्नवत है–

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	The KML File of total proposed forest land for diversion.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना निर्माण के क्रम में चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल अतर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का kml file, PARIVESH 1.0 Portal jj Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
2	The kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का Complete alignment एवं ढुंढे गये दो Alternative routes का KML फाईल परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है।

3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/ submitted to this office along with the explanation why the forest department could not assess the violation while processing the application.	**वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :–** • विषयगत परियोजना में अधिसूचित वनभूमि पर भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा–टोनाटाँड में एक (1) एवं मौजा– हुरनाली में एक (1) कुल–2(दो) टॉवरों का निर्माण किया गया है। • वनभूमि में अवैध तरिके से किये गये टॉवर निर्माण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी पदाधिकारी विरूद्ध वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2024 द्वारा वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। वर्तमान मे यह मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन संलग्न अनु0–2) **(क)** दोनों टॉवर के निर्माण में कुल में प्रभावित अधिसूचित वनभूमि का कुल रकबा 0.01620 हे0 है। **(ख)** दोनो टॉवर के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकारियों का नाम निम्नवत् है :– 1. सुनिल कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0लि0, चतरा। 2. प्रमोद कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर,के0 रामाचन्द्रा राउ ट्रांसमिशन एण्ड़ प्रोजेक्ट प्रा0 लि, एच0आई0–199, एच0एच0 कॉलोनी, रांची–834002. दोनो पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है। • साथ ही विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर किये गये टॉवरो का निर्माण के विरूद्ध दोषी लोगों पर कार्रवाई करने हेतु एवं उल्लंघन से प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के पत्रांक 2150 दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। उक्त मामलें में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67 दिनांक 08.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित करने हेतु समिति का गठन किया गया। उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में उनके ज्ञापांक .406 दिनांक 23.02.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर उनके कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

		प्राप्त प्रतिवेदन में अवैध तरीके से किये गये टॉवरों की कुल सं0–39 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.5249 हे0 उल्लेखित है। इस मामले में गठित समिति द्वारा अपने findings के कंडिका–(3) में अंकित किया गया है कि – *During the inspection, and as corroborated by satellite imagery, it was observed that majority of the 39 GMJJ land parcels in which violations have been confirmed are under cultivation, which indicates that the user agency appears to have committed an inadvertent error while executing the transmission line project in physically distinguishing the said land parcels as GMJJ.* साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा प्रभावित उल्लंघन से प्रभावित रकवा पर पैनल एन0पी0भी0 लगाने हेतु findings के कंडिका–(4) में की गई अनुशंसा के आलोक में किया गया जो निम्नवत् है :– *For cases where the proposal under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is under consideration and forest land is deverted before grant of FC, Chapter-1, Para 1.16 (ii)(a) of the Consolidated Guidelines and Clarification issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 states that:-* ***"the penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made."*** *Thus, in light of the aforesaid provision with regards to penal NPV, further necessary action can be taken.* **(छाया प्रति संलग्न अनुलग्नक–A)** वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा विषयक परियोजना का दिनांक 06.09.2021 एवं दिनाक 29.11.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में वनभूमि पर अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है। 1. उक्त से संबंध में यह स्पष्ट है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जिन स्थलों का निरीक्षण किया गया होगा उन स्थलों पर उस समय टॉवर का निर्माण नहीं किया गया होगा। 2. चूँकि विषयक परियोजना में कुल 194 टॉवरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। यह संभव है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी टॉवरो का सभी टॉवरों का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया होगा, जिनमें से इन अवैध टॉवरों का निर्माण कराया गया होगा।

		वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :– विषयक परियोजना में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67/रा०दिनांक 08.01.2026 द्वारा बिना सक्षम स्तर की पूर्वानुमति के गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी पर किये गये टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया। उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 406/रा० दिनांक 23.02.2026 (छायाप्रति सलंग्न, **अनु०–2)** के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि पर कोई भी टॉवर का निर्माण कार्य नही किया गया है, फलस्वरूप, इस प्रमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
4	As per Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes. Situation may be explained.	इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– (a) There has been no intentional tampering of the KML file uploaded on the Parivesh portal. (b) The alignment KML was initially uploaded in segment/patches based on the information available at the time. . Consequently, the portal displayed an incomplete/fragmented alignment, which would have appeared inconsistent during geo-spatical analysis. Also, a complete and consolidated alignment KML of the transmission line is prepared and submitted in soft copy (CD) by user agency which is annexure-I इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– "There is no deviation under Chatra (North) Forest Division." इसके साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक ट्रांसमिशन लाईन के Complete and consolidated alignment का kml file, CD में समर्पित किया गया है।
5	Three Cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।

6	The user agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/ plans alongside.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण योजना का सम्मान एवं पालन करने से संबंधित बचनबद्धता समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की पांच–पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है। ओहस्ताक्षरी उक्त मंतव्य से सहमत है।

आपका विश्वासी,

अनु0–यथोक्त।

07/05/26

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

(182)

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
फोन नं– 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 290 दिनांक – 27/04/26

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Itkhori to Chatra Transmission Line निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 53.679 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल – 1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– FP/JH/TRANS/40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1188 दिनांक 18.11.2022 एवं आपका ज्ञापांक 2587 दिनांक 18.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा छः बिन्दुओं पर की गई पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1055 दिनांक 21.04.2026 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 775 दिनांक 25.04.2026 द्वारा बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है। निराकरण प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत है–

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	The KML File of total proposed forest land for diversion.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना निर्माण के क्रम में चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल अतर्गत अपयोजित हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का kmlfile, PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।

2	The kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का Complete alignment एवं ढुंढे गये दो Alternative routes का KML फाईल परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ किया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है।
3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/ submitted to this office along with the explanation why the forest department could not assess the violation while processing the application.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :– • विषयगत परियोजना में अधिसूचित वनभूमि पर भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा–टोनाटाँड़ में एक (1) एवं मौजा– हुरनाली में एक (1) कुल–2(दो) टॉवरों का निर्माण किया गया है। • वनभूमि में अवैध तरिके से किये गये टॉवर निर्माण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोशी पदाधिकारी विरूद्ध वन वाद दर्ज करते हुए चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2024 द्वारा वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दण्ड़ाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। वर्तमान मे यह मामला मुख्य न्यायिक दण्ड़ाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन संलग्न अनु0–2) **(क)** दोनों टॉवर के निर्माण में कम में प्रभावित अधिसूचित वनभूमि का कुल रकबा 0.01620 हे0 है। **(ख)**दोनो टॉवर के निर्माण हेतु दोशी पदाधिकररियों का नाम निम्नवत् है। 1. सुनिल कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड़ उर्जा संचरण नि0लि0, चतरा। 2. प्रमोद कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर,के0 रामाचन्द्रा राउ ट्रांसमिसन एण्ड़ प्रोजेक्ट प्रा0

लि, एच0आई0–199, एच0एच0 कॉलोनी, रांची–834002.

दोनो पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है।

- साथ ही विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर किये गये टॉवरो का निर्माण के विरूद्ध दोषी लोगो पर कार्रवाई करने हेतु एवं उल्लंघन से प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के कार्यालय के पत्रांक 2150 दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था।

उक्त मामलें में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक. 67 दिनांक 08.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित करने हेतु समिति का गठन किया गया। उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में उनके ज्ञापांक .406 दिनांक 23.02.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में अवैध तरिके से किये गये टॉवरों की सं0–.39 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.5249हे॰ उल्लेखित है।

साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा प्रभावित उल्लंघन से प्रभावित रकबा पर पीनल एन0पी0भी0 लगाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंड़ल द्वारा विषयक परियोजना का दिनांक 06.09.2021 एवं दिनांक 29.11.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में वनभूमि पर अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है।

179

		1. उक्त से संबंध में यह स्पष्ट है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जिन स्थलों का निरीक्षण किया गया होगा उन स्थलों पर उस समय टॉवर का निर्माण नहीं किया गया होगा। 2. चूँकि विषयक परियोजना में कुल 194 टॉवरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। यह संभव है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी टॉवरो का सभी टॉवरों का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया होगा, जिनमें से इन अवैध टॉवरों का निर्माण कराया गया होगा। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है :– विषयक परियोजन में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67/रा०दिनांक 08.01.2026 द्वारा बिना सक्ष मस्तर की पूर्वानुमति के गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी पर किये गये टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया। उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 406/रा० दिनांक 23.02.2026 (छायाप्रति सलंग्न, **अनु०–2)** के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार चतरा उत्तरी वनप्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि पर कोई भीटॉवर का निर्माण कार्य नही किया गया है, फलस्वरूप, इस प्रमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवंसंवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
4	As per Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes.	इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– (a) There has been no intentional tampering of the KML file uploaded on the Parivesh portal. (b) The alignment KML was initially

	Situation may be explained.	uploaded in segment/patches based on the information available at the time. . Consequently, the portal displayed an incomplete/fragmented alignment, which would have appeared inconsistent during geo-spatical analysis. Also, a complete and consolidated alignment KML of the transmission line is prepared and submitted in soft copy (CD) by user agency which is annexure-I इस पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– "There is no deviation under Chatra (North) Forest Division." इसके साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक ट्रांसमिशन लाईन के Complete and consolidated alignment का kml file, CD में समर्पित किया गया है।
5	Three Cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।
6	The user agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/ plans alongside.	इस पृच्छा के निराकरण में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण योजना का सम्मान एवं पालन करने से संबंधित बचनबद्धता समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन संलग्न।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी/उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

27/04/26

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा।
वन भवन, चतरा – 825401

E-mail : dfo-chatrasouth@gov.in Phone : 8987790213

पत्रांक : 1055 दिनांक : 21/04/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार, भा0व0से0,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,चतरा।

विषय :– मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि0 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत 132 KV D/C ईटखोरी–चतरा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 55.217 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–53.679 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल–1.538 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक–FP/JH/TRANS/40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1188 दिनांक 18.11.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 2587 दिनांक 18.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विषयक प्रस्ताव पर प्रासंगिक पत्रों द्वारा भारत सरकार द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। सभी पृच्छाओं का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 238 दिनांक 09.03.2026 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित की गई है। उक्त के आलोक में सभी पृच्छाओं का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	The KML File of total proposed forest land for diversion.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा का KML Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है। (अनु0–1)
2	The kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	इस पृच्छा के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना का Complete alignment एवं Alternative routes का KML फाईल परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। साथ ही KML का CD भी समर्पित किया गया है जिसे संलग्न किया जा रहा है। (अनु0–1)
3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/ submitted to this office along with the explanation why the forest department could not assess the violation while processing the application.	• विषयगत परियोजना में अधिसूचित वन भूमि पर भारत सरकार से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा–टोनाटॉड़ में एक (1) एवं मौजा– हुरनाली में एक (1) कुल – 2(दो) टॉवरों का निर्माण किया गया है। • वनभूमि में अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी पदाधिकारी विरूद्ध वन वाद दर्ज करते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2024 द्वारा वाद का अभियोजन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी गई है। वर्तमान मे यह मामला मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। (अभियोजन प्रतिवेदन

		(क) दोनों टॉवर के निर्माण में कुल में प्रभावित अधिसूचित वनभूमि का कुल रकबा 0.01620 हे0 है। **(ख)** दोनो टॉवर के निर्माण हेतु दोषी पदाधिकररियों का नाम निम्नवत् है। 1. सुनील कुमार, तत्कालीन प्रबंधक, संचरण अवर प्रमंडल, झारखण्ड उर्जा संचरण नि0लि0, चतरा। 2. प्रमोद कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर,के0 रामाचन्द्रा राउ ट्रांसमिसन एण्ड प्रोजेक्ट प्रा0 लि. एच0आई0–199, एच0एच0 कॉलोनी, रांची–834002. दोनों पदाधिकारियों का नाम का उल्लेख अभियोजन प्रतिवेदन में अंकित है। विषयगत परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर किये गये टॉवरों का निर्माण के विरूद्ध दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु एवं उल्लंघन से प्रभावित रकबा उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2150 दिनांक 04.09.2023 द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया था। उक्त मामलें में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67 दिनांक 08.01.2026 द्वारा गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित करने हेतु समिति का गठन किया गया। उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में गठित समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में उनके ज्ञापांक 406 दिनांक 23.02.2026 द्वारा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में अवैध रूप से निर्माण किये गये टॉवरों की सं0–39 एवं गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का प्रभावित रकबा 0.52494 उल्लेखित है। साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा उल्लंघन से प्रभावित रकबा पर पीनल एन0पी0भी0 लगाने हेतु अनुशंसा किया गया है। (उपायुक्त का प्रतिवेदन संलग्न अनु0–3) • वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा विषयक परियोजना का दिनांक 06.09.2021 एवं दिनांक 29. 11.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में वनभूमि पर अवैध रूप से किये गये टॉवर निर्माण के संबंध में टिप्पणी अंकित नहीं है।(स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न अनु0–4) 1.उक्त से संबंध में यह संभव है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जिन स्थलों का निरीक्षण किया गया होगा उन स्थलों पर उस समय टॉवर का निर्माण नहीं किया गया होगा। 2.चूँकि विषयक परियोजना में कुल 194 टॉवरो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। यह संभव है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी टॉवरो का सभी टॉवरों का स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया होगा, जिनमें से इन अवैध टॉवरों का निर्माण कराया गया होगा।
4	As per Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes. Situation may be explained.	इस पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है– (a) There has been no intentional tampering of the KML file uploaded on the Parivesh portal. (b) The alignment KML was initially uploaded in segment/patches based on the information available at the time. Consequently, the portal displayed an incomplete/ fragmented alignment, which would

		have appeared inconsistent during geospatial analysis. Also, a complete and consolidated alignment KML of the transmission line is prepared and submitted in soft copy (CD) by user agency which is annexure-I
5	Three Cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis समर्पित किया गया है, जिसे संलग्न किया जा रहा है। (अनु0–5)
6	The user agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/ plans alongside.	इस पृच्छा के निराकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण योजना का सम्मान एवं पालन करने से संबंधित बचनबद्धता समर्पित किया गया है जिसे संलग्न की जा रही है। (अनु0–6)

अतः निराकरण प्रतिवेदन की 7 मूल प्रतियाँ अत्र–सह–संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

F.C. Act.
23/04/26

आपका विश्वासी
21/4/2016
वन प्रमंडल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल,चतरा।

कार्यालय–वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारी
प्राप्त सं0 849
दिनांक 23/04/26

(173)

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

वन भवन - चतरा (झारखण्ड) - 825401

फोन नं0- 06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com

पत्रांक :- 715 चतरा, दिनांक :- 25/04/26

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषयः- **मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132K.V DC/ ईटखोरी-चतरा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 55.217 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल- 53.679 हे० एवं उत्तरी प्रमण्डल 1.538 हे०) वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक FP/JH/TRANS/40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022 एवं आपका ज्ञापांक 132 दिनांक 17.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु समर्पित प्रस्ताव पर की गई छः बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 242 दिनांक 10.03.2026 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित किया गया है। तत्क्रम में, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन पर अधोहस्ताक्षरी का कंडिकावार मंतव्य निम्नवत है:-

क्र. सं.	पृच्छा	निराकरण
1	The Kml file of total proposed forest land for diversion.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वि. यक परियोजना निर्माण के क्रम में चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित हेतु प्रस्तावित कुल वन भूमि का .kml file, PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
2	The Kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना के Complete Alignment एवं ढुंढे गये दो Alternative Routes का .kml file को CD में समर्पित किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ सलंग्न कर समर्पित किया जा रहा है (अनु०-1)।
3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest land proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the	विषयक परियोजना में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67/रा० दिनांक 08.01.2026 द्वारा बिना सक्षम स्तर की पूर्वानुमति के गैर-मजरूआ जंगल-झाड़ी पर किये गये टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया। उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर-मजरूआ जंगल- झाड़ी में उल्लंघन से

		के पत्रांक 406/रा० दिनांक 23.02.2026 (छायाप्रति संलग्न, **अनु०–2)** के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि पर कोई भी टॉवर का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, फलस्वरूप, इस प्रमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1990 के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
4	As per the Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes. Situation may be explained.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस पृच्छा के क्रम में निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :– "There is no deviation under Chatra (North) Forest Division." इसके साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वि[illegible]यक ट्रांसमिशन लाईन के Complete and consolidated alignment का .kml file, CD में समर्पित किया गया है।
5	Three cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है, जो संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है। **(अनु०–3)**।
6	User agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/plans alongside.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुशंसाओं का पालन करने से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसे संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है। **(अनु०–4)**।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन/निराकरण प्रतिवेदन की सात प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(राहुल मीणा, [illegible])
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

F.C. A.C.
25/04/26

कार्यालय-वन संरक्षक
[illegible]
प्राप्त सं० 350
दिनांक 25/04/26

ANX-(A)

(17)

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303

e-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक

दिनांक

प्रेषक,

श्री श्वेताभ सुमन, भा0व0से0
संलग्न पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

सेवा में,

उपायुक्त,
चतरा।

विषय :— चतरा जिला अन्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा–इटखोरी) निर्माण के क्रम में गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) चिन्हित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका ज्ञापांक —XVIII-04/2020-67/रा0, दिनांक 06.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में यह सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत 132 के0वी0 डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन (चतरा–इटखोरी) निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के गैरमजरूआ खास, जंगल–झाड़ी भूमि पर टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 तथा संबंधित नियमों के उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकबा) को चिन्हित कर लिया गया है तथा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

<u>अनु0—यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,
ह0/—
संलग्न पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

ज्ञापांक 427 दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपिः— श्री वैभव कुमार सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा/श्री अनिल कुमार, अंचल अधिकारी, चतरा एवं श्रीमती सन्ध्या कुमारी, वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shwetabh Suman
13/1/2026
संलग्न पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

Scanned with OKEN Scanner

(170)

Report of Committee on identification of GMJJ land (with area) impacted by previously constructed towers of 132 KV D/C Itkhori-Chatra transmission line in Chatra district

In accordance with the directive issued by the Deputy Commissioner, Chatra (Office Order No. XVIII-04/2020-67 dated 08 January 2026), a committee was constituted to assess and identify the extent of GMJJ land affected due to violations of the *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam*, 1980 and other relevant regulations during the execution of the 132 KV D/C Itkhori–Chatra transmission line project by the user agency, JUSNL (Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited).

The committee member representing the user agency provided the detailed list of all towers which were either already erected or whose foundation work was already done on GMJJ & Forest Land. The *.kml* file for alignment of the transmission line showing current status of project (location and nature of land of each tower) was also made available to the committee. The committee reviewed the aforesaid detailed list of towers, *.kml* file of the transmission line, land schedule of the project available with Chatra South Forest division office and latest google earth / maps satellite imagery to identify the GMJJ land over which tower erection / foundation work was done.

Committee Proceedings:

1) Upon review following observations were made:

- Total no. of towers in transmission line project- 197
- Locations where tower erection / foundation work complete - 173

Thus, 173 locations were to be checked for violations under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam*, 1980.

2) The detailed examination of latest *.kml file* and available land schedule for the project was carried out to ascertain that nature of land of tower locations. Out of the 173 tower locations where tower erection / foundation work is complete, 132 were found to be on Raiyati land, 39 on GMJJ land and 2 on forest land. With respect to 39 tower locations on GMJJ land, at 37 locations towers are fully erected whereas as at 2 locations only foundation work is done.

On-site inspection of certain tower locations (Annexure - I) was done on 13/02/2026 in the presence of all committee members for ascertaining nature of land and also ground truthing of nature of land as per the transmission line *.kml file* and available land schedule.

Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager) Transmission Div., Hazaribagh (Member)	Shri Anil Kumar Circle Officer, Chatra (Member)	Shri Vaibhav Kumar Singh LRDC, Chatra (Member)	Shri Shwetabh Suman (I.F.S) Attached Officer, Chatra (Chairman)

Scanned with OKEN Scanner

(169)

3) For towers erected / foundation work done on GMJJ land, it was decided that the area of tower foundation based on the approved engineering drawings provided by user agency to be considered as the area impacted by violation under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam*, 1980).

4) For remaining GMJJ land parcels in which tower erection is proposed for the 132 KV D/C Itkhori-Chatra transmission line project, it was decided that such locations to be physically verified for any new violations.

Committee Findings

1) The committee made following observations with respect to violations by user agency in the 132 KV D/C Itkhori-Chatra transmission line project:

Total No. of Locations with violations in GMJJ	**39**

- No. of locations where full tower erection done on GMJJ land - 37
- No. of locations where only foundation work done on GMJJ land - 2
- No new violations were found on any other GMJJ land in proposed transmission line alignment during site verification

Thus, at **39** locations on GMJJ land, violation under *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam*, 1980 is confirmed. Total area impacted due to this violation is **5249.37 m² (0.5249 ha)**. Tower wise details attached in Annexure-II.

2) Of the total stringing length of 50.939 km proposed in the transmission line project, around 20.8km stringing is already complete.

3) During the inspection, and as corroborated by satellite imagery, it was observed that majority of the 39 GMJJ land parcels in which violations have been confirmed are under cultivation, which indicates that the user agency appears to have committed an inadvertent error while executing the transmission line project in physically distinguishing the said land parcels as GMJJ.

Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager) Transmission Div., Hazaribagh (Member)	Shri Anil Kumar Circle Officer, Chatra (Member)	Shri Vaibhav Kumar Singh LRDC, Chatra (Member)	Shri Shwetabh Suman (I.F.S) Attached Officer, Chatra (Chairman)

Scanned with OKEN Scanner

4) For cases where the proposal under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is under consideration and forest land is diverted before grant of FC, Chapter-1, Para 1.16 (ii)(a) of the Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 states that: -

"the penalty for violations shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising such demand till the deposit is made."

Thus, in light of the aforesaid provision with regards to penal NPV, further necessary action can be taken.

13/02/26
Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager)
Transmission Div., Hazaribagh
(Member)

13/02/26
Shri Anil Kumar
Circle Officer, Chatra
(Member)

Shri Vaibhav Kumar Singh
LRDC, Chatra
(Member)

13/2/2026
Shri Shwetabh Suman (I.F.S)
Attached Officer, Chatra
(Chairman)

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE - I

Scanned with OKEN Scanner

PHOTOGRAPHS OF SITE INSPECTION (12/02/2026)

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-II

Scanned with OKEN Scanner

SITE INSPECTION OF TOWER LOCATIONS OF 132 KV D/C ITKHORI - CHATRA TRANSMISSION LINE

SL. NO.	TOWER LOCATION NO.	GEO-COORDINATES		MOUZA	THANA	KHATA	PLOT	REMARKS	FINDINGS
		LATITUDE	LONGITUDE						
1	AP 184/0	24° 15' 28.90" N	84° 52' 05.64" E	PAKARIA	178	13	89	TOWER APPEARS TO BE IN GMJJ LAND. NEED TO CONFIRM WHETHER FOUNDATION LIES IN GMJJ.	GMJJ
2	AP 114/0	24° 14' 15.29" N	84° 52' 17.56" E	DARHA	157	99	705	TOWER AT THE BORDER OF GMJJ & FOREST LAND. NEED TO CONFIRM WHETHER FOUNDATION LIES IN GMJJ.	GMJJ

Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager)
Transmission Div., Hazaribagh
(Member)

Shri Anil Kumar
Circle Officer, Chatra
(Member)

Shri Vaibhav Kumar Singh
LRDC, Chatra
(Member)

Shri Shwetabh Suman (I.F.S.)
Attached Officer, Chatra
(Chairman)

165

Scanned with OKEN Scanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

132 KV Itkhori - Chatra Transmission Line

Sl.No	Loc No (AP No)	Type of tower	CLASSIFICATION	STATUS	MOUZA	THANA NO	PLOT NO	M VALU E(mtrs)	PIT SIZE (mtrs)	(M)+(PIT SIZE)	AREA (SQ.MTRS)	AREA (HA)	FOREST DIVISION	REMARKS
1	25A/0	B+0	WET	Completed	Hapua	104	2421	6.792	3.07	9.862	97.26	0.00973	CHATRA SOUTH	GMJJ
2	5/0	D+0	WET	Completed	Tonagatu	106	239	8.985	3.71	12.695	161.16	0.01612	CHATRA SOUTH	GMJJ
3	21/0	D+0	WET	Completed	Tonagatu	106	757	8.985	3.71	12.695	161.16	0.01612	CHATRA SOUTH	GMJJ
4	26/0	C+0	PS	Completed	Chakmuar	31	1021	7.513	3.81	11.343	124.17	0.01242	CHATRA SOUTH	GMJJ
5	40/0	B+6	WFR	Completed	Manikpura	12	1101	8.477	3.28	11.757	137.76	0.01378	CHATRA SOUTH	GMJJ
6	41/0	D+6	WET	Completed	Manikpura	12	1168	8.306	3.17	11.476	131.70	0.01317	CHATRA SOUTH	GMJJ
7	42/0	D+3	WET	Completed	Manikpura	12	1160	10.089	3.84	13.929	194.02	0.01940	CHATRA SOUTH	GMJJ
8	43/1	A+6	WET	Completed	Piki	8	2362	5.627	2.42	8.047	64.75	0.00648	CHATRA SOUTH	GMJJ
9	43/1	A+6	WET	Completed	Piki	8	2362	5.041	2.36	7.401	54.77	0.00548	CHATRA SOUTH	GMJJ
10	44/2	A+6	WET	ONLY FOUNDATION	Piki	8	2366	5.041	2.36	7.401	54.77	0.00548	CHATRA SOUTH	GMJJ
11	46/1	A+6	PS	Completed	Piki	8	2362	5.041	2.44	7.481	55.97	0.00560	CHATRA SOUTH	GMJJ
12	57/1	A+3	WET	Completed	Manikpura	11	1025	5.627	2.42	8.047	64.75	0.00648	CHATRA SOUTH	GMJJ
13	58/0	D+6	WET	Completed	Manikpura	11	1125	8.985	3.71	12.695	161.16	0.01612	CHATRA SOUTH	GMJJ
14	62/0	B+3	WET	Completed	Manikpura	12	118	7.649	3.17	10.819	117.05	0.01171	CHATRA SOUTH	GMJJ
15	62/1	A+6	WET	Completed	Manikpura	12	269	5.041	2.36	7.401	54.77	0.00548	CHATRA SOUTH	GMJJ
16	65/0	D+3	WET	Completed	Simduari Kalan	28	275	10.089	3.84	13.929	194.02	0.01940	CHATRA SOUTH	GMJJ
17	66/0	D+9	PS	Completed	Simduari Kalan	28	264	8.981	4.62	13.601	185.27	0.01853	CHATRA SOUTH	GMJJ
18	67/0	C+6	WET	Completed	Simduari Kalan	28	264	8.246	3.48	11.726	137.50	0.01375	CHATRA SOUTH	GMJJ
19	68/0	D+3	WET	Completed	Simduari Kalan	28	1	10.089	3.84	13.929	194.02	0.01940	CHATRA SOUTH	GMJJ
20	75/0	D+6	PS	ONLY FOUNDATION	Bamdih	14	1619	11.193	4.32	15.513	240.65	0.02407	CHATRA SOUTH	GMJJ
21	78/1	A+3	WET	Completed	Karhara	16	648	5.627	2.42	8.047	64.75	0.00648	CHATRA SOUTH	GMJJ
22	89/0	D+3	WFR	Completed	Sonbagha	179	426	10.089	3.93	14.019	196.53	0.01965	CHATRA SOUTH	GMJJ
23	92/0	C+3	WET	Completed	Tutang	178	31	8.246	3.48	11.726	137.50	0.01375	CHATRA SOUTH	GMJJ
24	93/0	D+6	PS	Completed	Tutang	178	32	8.807	4.35	13.160	173.32	0.01733	CHATRA SOUTH	GMJJ
25	95/0	C+3	WET	Completed	Tutang	178	12	8.246	3.48	11.726	137.50	0.01375	CHATRA SOUTH	GMJJ
26	96/0	B+6	WET	Completed	Tutang	178	7	8.306	3.17	11.476	131.70	0.01317	CHATRA SOUTH	GMJJ
27	100/0	D+6	DPR	Completed	Mohanath	178	71	11.193	3.19	14.383	206.87	0.02069	CHATRA SOUTH	GMJJ
28	101/0	B+0	WET	Completed	Chatra	175	2037	6.792	3.07	9.862	97.26	0.00973	CHATRA SOUTH	GMJJ
29	102/1	A+6	PS	Completed	Pokharia	174	127	5.041	2.44	7.481	55.97	0.00560	CHATRA SOUTH	GMJJ
30	102A/0	B+0	WET	Completed	Pokharia	174	127	6.792	3.07	9.862	97.26	0.00973	CHATRA SOUTH	GMJJ
31	103/0	D+3	PS	Completed	Pokharia	174	89	10.089	4.32	14.409	207.62	0.02076	CHATRA SOUTH	GMJJ
32	104/0	C+3	PS	Completed	Pokharia	174	89	8.246	3.94	12.186	148.50	0.01485	CHATRA SOUTH	GMJJ
33	105/0	B+0	WET	Completed	Pokharia	174	67	6.792	3.07	9.862	97.26	0.00973	CHATRA SOUTH	GMJJ
34	106/0	C+6	PS	Completed	Pokharia	174	67	9.129	4.38	13.509	[illegible]	[illegible]	CHATRA SOUTH	GMJJ
35	107/0	D+0	WET	Completed	Darha	137	701	8.985	3.71	12.695	161.16	0.01612	CHATRA SOUTH	GMJJ
36	108/0	D+3	WFR	Completed	Darha	137	701	10.089	3.93	14.019	196.53	0.01965	CHATRA SOUTH	GMJJ
37	109/0	C+3	DPR	Completed	Darha	137	700	7.333	3.56	10.893	118.66	0.01187	CHATRA SOUTH	GMJJ
38	113/0	B+0	WET	Completed	Darha	137	706	6.792	3.07	9.862	97.26	0.00973	CHATRA SOUTH	GMJJ
39	114/0	D+0	WET	Completed	Darha	137	703	8.985	3.71	12.695	161.16	0.01612	CHATRA SOUTH	GMJJ
										TOTAL	5235.37	0.52354		

Smt. Rupa Kumari (Sr. Manager)
Transmission Dn., Hazaribagh

Circle Officer, Chatra

LRDC, Chatra
(Member)

Attached Officer, Chatra
(Chairman)

Scanned with OKEN Scanner